

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.11(24)नविवि / खैरथल / 2024

जयपुर, दिनांक:

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार खैरथल, जिला खैरथल-तिजारा के नगरीय क्षेत्र जिसमें 25 राजस्व ग्राम को सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2047 तक के लिए तैयार करने हेतु उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर को एतद द्वारा नियुक्त करती है।

कं. सं.	राजस्व ग्राम का नाम अंग्रेजी में	राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में
1.	Khairthal	खैरथल
2.	Nangalmaujiya	नांगलमौजिया
3.	Raipurmewan	रायपुरमेवान
4.	Dadarhera	दादरहेड़ा
5.	Nangaladoongar	नंगलाडूंगर
6.	Ballabhgram	बल्लभग्राम
7.	Lisana	लिसाना
8.	Patanmewan	पाटनमेवान
9.	Husainpur	हुसैनपुर
10.	Chaknasarabad	चकनासराबाद
11.	Nimera	निमेड़ा
12.	Mator	मातौर
13.	Nangal Santokara	नांगल सन्तोकरा
14.	Rasgan	रसगन
15.	Nangli Ozha	नंगली औझा
16.	Dantla	दांतला
17.	Agwani	अगवानी
18.	Shahpur	शाहपुर
19.	Girwas	गिरवास
20.	Kharola	खरोला
21.	Bhojpur	भोजपुर
22.	Hanspurkhurd	हांसपुरखुर्द
23.	Siwana	सिवाना
24.	Jilota	जिलोता
25.	Shyamaka	श्यामाका

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।

7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर।
9. आयुक्त, नगर परिषद, खैरथल।
10. सहायक निदेशक/प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम